(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे थे ; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** :(क) जी हां।

(ख) टैक्सी के ड्राइवर और टैक्सी में बैठे दो व्यक्तियों के चोटें आईं। रेलगाड़ी के किसी भी व्यक्ति के चोट नहीं लगी ।

(ग) वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों की एक समिति जांच कर रही है ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भेषज (पहला संशोधन) नियम

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : मैं भेषज अधिनियम, १९४० की धारा ३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २१ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८४ में प्रकाशित भेषज (पहला संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रख रहा हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ३८० (६२) शस्त्र नियम]

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं शस्त्र अधिनियम १९५९ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८७ में प्रकाशित शस्त्र नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३८१ / ६२]

पिछड़े वर्गों के प्रभारी राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन क निष्कर्ष

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : मैं अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में नई दिल्ली में २६, और २७ जुलाई, १९६२ को हुए पिछड़े हुए वर्गों के प्रभारी राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३८२ / ६२]

नियम ६६ के परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ और नागालैण्ड राज्य विधेयक, १९६२ पर विचार करने और उन्हें पारित करने सम्बन्धी प्रस्तावों के विषय में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६६ के परन्तुक को लागू होने से बिलम्बित कर दिया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

इस नियम के परन्तुक के अन्तर्गत यदि कोई विधेयक किसी अन्य विधेयक पर आश्रित हो तो ऐसा विधेयक तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य विधेयक अधिनियम न बन जाए।

नागालैंड राज्य विधेयक संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक पर अग्रिम आश्रित है। दूसरी ओर संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक भी नागालैंड राज्य विधेयक पर आश्रित है। यह बात संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित अनुच्छेद ३७१—ए के अन्त में दिए गए व्याख्या से स्पष्ट होंगे । इस के अतिरिक्त संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित नए अनुच्छेद ३७१ —क में नागालैंड राज्य , नागालैंड, नागालैंड विधान सभा, नागालैंड राज्य का राज्य-पाल जो कि जब नागालैंड राज्य विधेयक पारित हो जाए और लागू हो जाए तब अस्तित्व में आयेंगे का बार बार उल्लेख आता है। इन सब से यह मालूम होता है कि दोनों विधेयक एक दूसरे पर आश्रित हैं।

यदि नागालैंड राज्य विधेयक का पारित किया जाना संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक के संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये जाने तक के लिये स्थगित कर दिया जाएगा तो विधान सभा निर्वाचित क्षेत्रों के सीमांकन जैसे प्रारंभिक कदम नहीं उठाये जा सकेंगे । वह सरकार की इस इच्छा के विरुद्ध होगा कि ऐसे प्रारंभिक कदम शीघ्र उठाये जाने चाहियें । संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक के अनुसमर्थन में कछ समय लगेगा, योंकि कराज्य विधान सभाएं शायद अभी नहीं बैठ रही हों। ऐसी परिस्थितियों में मैं सुझाव देता हूं कि सभा को नियम ६६ के परन्तुक का निलम्बन स्वीकार कर लेना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ और नागालैण्ड राज्य विधेयक, १९६२ पर विचार करने और उन्हें पारित करने सम्बन्धी प्रस्तावों के विषय में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६६ के परन्तुक को लागू होने से निलम्बित कर दिया जाये"

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) **:** दोनों विधेयक एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। अतः नियमों का निलम्बन आवश्यक नहीं है। मैं इस विषय पर आपका विनिर्णनय चाहती हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां दोनों विधेयक सम्बद्ध हैं और जब तक नियमों का निलम्बन न हो तो कार्यवाई नहीं चल सकेगी ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : संविधान का संशोधन नागालेंड विधेयक के पारित किये जाने के फलस्वरूप होगा। जब तक वह विधेयक पारित नहीं होगा तब तक 'नागालेंड राज्य' शब्दों की उत्पत्ति ही नहीं होगी और तब तक नागालैंड राज्य का जन्म नहीं होगा तब तक संविधान के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। अतः नियम को निलम्बित नहीं करना चाहिए ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : प्रधान मंत्री जी ने अभी जो प्रस्ताव किया है उस के सम्बन्ध में एक से अधिक आपत्तियां हो सकती हैं। प्रक्रिया नियमों के परस्पर आश्रित विधेयक के संबंध में कोई नियम नहीं है । नागालैण्ड राज्य विधेयक पहले पारित करना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** जो माननीय सदस्य की राय है कि बिना संविधान के संशोधन के नागालैण्ड राज्य विधेयक पारित किया जा सकता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** अतः मैं कहता हूं कि परस्पर आश्रित विधेयकों के लिए कोई नियम नहीं है और नहीं कोई परन्तुक है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां नियम नहीं है मैं प्रक्रिया को विनियमित कर सकता हूं । अतः उस के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** अगली बात परन्तुक को हटाने या निलम्बित करने के बारे में है वह इस लिए कि वह राष्ट्रपति द्वारा अनुमति के बारे में है । यह सरकार के रास्ते में रुकावट है ।

मान लीजिए कि संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक को जिसे पारित किया जाना चाहिए राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलती या वे सदन को विधेयक वापिस भेज देते हैं । तो नागालैंड राज्य विधेयक पर पुनः विचार आदि करना पड़ेगा । जिस से सदद का समय निष्फल होगा ।

अतः दोनों विधेयकों पर अलग अलग विचार होना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या विधि मंत्री इस मामले पर कुछ कहना चाहेंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन :** हमें श्री कामत की आपत्तियों से विश्वास नहीं हुआ है । नागालैण्ड विधेयक को देखने से पता चलेगा कि हम केवल अलग राज्य ही नहीं स्थापित कर रहे हैं । हम एक विधान सभा स्थापित कर रहे हैं । जिसको सीमित शक्तियां हैं । जैसा कि अनुच्छेद ३७१–ए में कहा गया है जिसे संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक संविधान में जोड़ने की प्रस्तावना करता है ।

नागालैंड राज्य विधेयक पर उस के विशेष उपबन्धों के कारण नहीं किया जा सकता तब तक कि हम संविधान (संशोधन) विधेयक को पारित न करें । साथ ही संविधान (संशोधन) विधेयक दूसरे विधेयक पर आश्रित है, क्योंकि इस में नागालैण्ड इत्यादि का जिक्र है । इस का मतलब यह है कि जब तक नागालैण्ड न स्थापित किया जाए, इस विधेयक का कोई मतलब नहीं होगा । अतः किसी भी विधेयक को पहले लीजिए । इतराज होगा । यही बात जब विधेयक पुरः-स्थापित किया गया था तो श्री कामत ने कही थी । अब वे इसे नहीं मानते ।

किसी भी सभा के नियम किसी काम के लिये होते हैं । यदि यह ध्येय हो कि नागालैण्ड के लोगों को जो कुछ संसद् ने पहले मंजूर किया है देना है तो प्रक्रिया के नियमों को अंतिम जैसा मान लिया जाए ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** नियम अनुलंघनीय नहीं ह । परन्तु हमें नियमों का आदर करना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** नियमों के निलम्बन के प्रश्न का निर्णनय स्वयं सभा द्वारा किया जाता है । प्रक्रिया नियम ३८८ के अन्तर्गत प्रस्ताव पेश किया जा चुका है । अब यह सदन के हाथ में है कि वह उसे स्वीकार करे या न करे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** पहले नागालैंड राज्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हम उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं जिसमें कि संविधान में और संशोधनों की आवश्यकता पड़े ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय) : अनुच्छेद ३७१ का संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि हम राज्यपाल को विशेष शक्तियां देने का विचार कर रहे हैं। क्या हम इस बात को पहले से नहीं मान रहे कि अगले विधेयक में सदन राज्यपाल को विशेष शक्तियां देने के लिए मान जाएगा। यदि सदन उस बात को नहीं मंजूर करता तो सारा मामला उलट हो जाएगा। हम नागालैंड विधेयक को बिना निलम्बनके पारित कर सकते हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय—

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं। आप जो सुनाना चाहते हैं उसको सुनने में मुझे कोई उज्र तो नहीं है, पर मुझे यही डर है कि इसके सम्बन्ध में नहीं होगा।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं इसी के सम्बन्ध में कहूंगा, और कोई दूसरी बात नहीं कहूंगा। प्रथम बात तो यह है कि यह विधान अनेक बार बदला जा चुका है और अब इसको फिर बदलने का यत्न किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बात है।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरी बात सुन तो लीजिए। आज जो संशोधन पेश किया जा रहा है वह इसलिए है कि नागालैंड बने और उसके लिए यह यत्न किया जा रहा हैं कि यह बिल पास हो। मैं कहना चाहता हूं कि अपने बनाए हुए विधान को इस प्रकार बार-बार बदलना ठीक नहीं। यह कोई रबड़ की नाक तो हैं नहीं जिसको इस प्रकार बदला जा सकता हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने पेश है। इसलिए जो तर्क उपस्थित किये गये हैं उनको हिन्दी में भी बताया जाना चाहिए। यह कोई इंगलैंड की पार्लियामेंट तो नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां सारा काम अंग्रेजी में होता है। इसलिए हम उसकी चर्चा अंग्रेजी में कर सकते हैं। अब आप तशरीफ रखिए। आप कानून में भी दखल देते हैं।

मेरे विचार में नियमों का निलम्बन करके दोनों विधेयकों के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जाएं। जहां तक चर्चा का सम्बन्ध है, दोनों विधेयकों पर इकट्ठी चर्चा हो सकती है उसके बाद हम पहले नागालैंड के बारे में प्रश्न सदन के सामने रख सकते हैं फिर दूसरे विधेयक के बारे में। हम नियमों का निलम्बन कर सकते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वर्तमान मामले में नियम लागू नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

> "कि संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ और नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२ पर विचार करने और उन्हें पारित करने सम्बन्धी प्रस्तावों के विषय में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६६ के परन्तुक को लागू होने से निलम्बित कर दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और नियम का निलम्बन कर दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ तथा नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२

†श्री जवाहर लालनेहरू : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा है, ये दो विधेयक एक दूसरे पर बिल्कुल निर्भर हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मतदान के समय आप किस पर मतदान पहले करते हैं किन्तु विचार करने की अवस्था पर दोनों पर इकट्ठा विचार किया जाना है, ताकि माननीय सदस्य पूरी स्थिति को देख सकें और इसकी आलोचना कर सकें या इसें संशोधित कर सकें।

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं :

"कि नागालैंड राज्य की स्थापना और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

दो साल पहले मैंने सदन में नागालैंड और वहां के नेताओं के साथ किये गये समझौते के बारे में एक वक्तव्य दिया था। आज हम जो कुछ कह रहेहैं, वह उस समझौते के अनुसरण में है। यह केवल बिल्कुल नई चीज नहीं है। उस समझौते पर दो साल तक अमल होता रहा है, यद्यपि संविधान में संशोधन नहीं किया गया था।

हम यह कार्यवाही पहले करते, किन्तु चूंकि स्थिति साधारण नहीं थी, हमने सोचा कि पहले स्थिति साधारण होनी चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि अब स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है, किन्तु पहले से बहुत अच्छी है। नागालैंड स्थायी परिषद् असाधारणतया सफलतापूर्वक काम करती है। उसने इच्छा प्रकट की थी कि दो साल पहले के समझौते को अब क्रियान्वित किया जाये। इसलिये सदन इन विधेयकों के सिद्धान्त पहले ही स्वीकार कर चुका है।

अब मुझे इस संशोधन को प्रस्तुत करते हुए खुशी होती है।हम सैनिक शक्ति प्रयोग करने के विरुद्ध हैं किन्तु कुछ विरोधी तत्वों के खिलाफ ऐसा करना पड़ा। हमने इन्हें राजनैतिक तरीकों से अपनाना चाहा हैं। नागा नेताओं ने जो १६ सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत किया था, उसे हमने लगभग सारा मान लिया था। सदन के सामने भी इसे रखा गया था और मोटे तौर पर उसने इसकी मंजूरी दी थी। अब उसको क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत उपबन्धकिये जा रहे हैं।

१९४७ में आजादी के बाद, नागा हिल्ज़ ज़िला और ट्यूनसांग ज़िला को उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी में शामिल करके इन्हें संविधान की ६ठी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।

बाद में कुछ लोगों ने सशस्त्र विरोध आरम्भ किया था और हत्या, लूटमार आदि भी हुई थी। हमें सैनिक कदम उठाने पड़े थे। हमारी सैनिक और पुलिस बलों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बेकसूर व्यक्ति मारे जायें। कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा था, जिसका हमें दुःख है। इन सब बातों के होते हुए और हमारी अत्यधिक सावधानी के बावजूद श्री फिज़ो और उनके साथियों ने जो प्रचार किया है, वह बहुत असाधारण और उत्तेजना पैदा करने वाला है।

---

†मूल अंगेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैं नहीं कह सकता कि इतने वर्षों के कार्य में पुलिस या सेना के किसी सदस्य ने अवांछनीय कार्य नहीं किया। हम इसे रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु हम अपनी सेना और आसाम राइफल्ज को बधाई देते हैं कि उन्होंने इतनी कठिनाइयों के सामने इतना अच्छा काम किया है, क्योंकि यह कोई नियमित लड़ाई नहीं थी।

चूंकि विरोधी नागा सीमान्त की दूसरी ओर चले जाते थे, हम उनका पीछा नहीं कर सकते थे और हम बर्मा के क्षेत्र में नहीं जा सकते थे उनकी अनुमति के बिना। इस तरह उन्हें आश्रय मिल जाता था और जब संभव होता था, वह वापस आ जाते थे।

यह कुछ समय तक होता रहा जब कि पहला सम्मेलन हुआ, १९५७ में। उस सम्मेलन की पहली मांग यह थी कि नागा हिल्ज क्षेत्र और ट्यूनसांग विभाग को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत अलग एकक बना दिया जाये। हमने इस मांग को स्वीकार कर लिया था। ये क्षेत्र आसाम राज्य का भाग होते हुए भी अलग थे और यह उस समय से चला आ रहा है।

अब यह परिवर्तन किया जा रहा है कि इस अलग क्षेत्र को नया नाम दिया जा रहा है और कुछ शक्तियां जिसमें विधान सभा आदि भी है, दी जा रही हैं। यह क्षेत्र संसद् के निर्णय से अलग रहा है। अब इन विधेयकों द्वारा इसको नया नाम और कुछ स्वायत्तता दी जा रही हैं। आसाम में अलग कुछ वर्ष पहले १९५७ में हुआ था। १९५८ में नागालैंड का एक और सम्मेलन हुआ था। उन्होंने एक सम्पर्क सम्यक् समिति भी नियुक्त की थी जिसका काम यह था कि पथ-भ्रष्ट नागाओं को भी सीधे रास्ते पर लाया जाये। ताकि वे भी नागालैंड के प्रशासन में अपना उत्तर-दायित्व संभाल सकें।

यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ। इसके बाद, अक्तूबर, १९५८ में मोकोकचुंग में तीसरा सम्मेलन हुआ था, जिसमें १६ सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया गया था। उनकी मुख्य मांग भारत संघ में एक अलग राज्य नागालैंड बनाने की थी। इसके बाद जुलाई, १९६० में सम्मेलन के प्रधान डा० आओ ने एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए मुझ से भेंट की थी। उसके फलस्वरूप वह समझौता हुआ था, जो संसद् के सामने रखा गया था। एक परिषद् बनाई गई थी जो दो साल से काम कर रही है। राज्यपाल ने उस परिषद् की इच्छा अनुसार काम किया है।

सदन को याद होगा कि डा० आओ को कुछ विरोधी तत्वों ने गोली से मार दिया था। इससे प्रकट होता हैं कि वे किस किस्म के लोग हैं जिन्होंने अपने नेता को मार दिया था।

इस समझौते में नागा नेताओं की इच्छा के अनुसार एक संक्रमणकाल था, जिसमें १५ सदस्यों की एक आन्तरिक निकाय और निकाय के ५ सदस्यों की परिषद् बनाई जानी थी, ताकि नागालैंड के प्रशासन में राज्यपाल की सहायता की जा सके। यह व्यवस्था अच्छी तरह काम करती रही है। ग्राम और आदिम जाति परिषदों के चुनाव हुए थे और नागालैंड के प्रशासन में स्वयं नागा लोगों का अधिकाधिक हाथ रहा है।

हम इस परिवर्तन के लिए वचनबद्ध है और संसद् भी वचनबद्ध है।

इस विधेयक के कुछ विशेष उपबन्ध हैं। एक यह हैं कि थोड़े समय के लिए राज्यपाल के शान्ति और व्यवस्था और वित्त के मामलों में विशेष अधिकार होंगे किन्तु स्थिति साधारण होने के बाद ऐसा नहीं होगा ये सब उपबन्ध स्वयं नागा लोगों के बनाए हुए है। इस समय नागालैंड की

आय बहुत कम है । भारत सरकार ने कल्याण, योजनाओं पर बहुत रकम खर्च की है । हमने उचित समझा है कि अपव्यय को रोकने के लिए राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होनी चाहियें ।

ट्यनसांग जिले को उसके प्रतिनिधियों की इच्छा के अनुसार अलग रखा गया है और नागा प्रतिनिधि इससे सहमत थे । यह क्षेत्र नागालैंड के दो और जिलों से अधिक पिछड़ा हुआ है । इसलिए इसके लिए एक प्रादेशिक परिषद् रखी गई हैं । राज्यपाल का पहले १० वर्षों में इसके प्रशासन में अधिक हाथ रहेगा । इस अवधि को कम भी किया जा सकता है ।

यह प्रस्ताव है कि आसाम का राज्यपाल नागालैंड का राज्यपाल भी हो और आसाम का उच्च-न्यायालय नागालैंड का उच्चन्यायालय भी होगा ।

हम उनकी आदिम जाति प्रथाओं और परम्पराओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते । इसलिए उनकी आदिमजाति विधियों को नहीं छेड़ा गया । उनकी परिषदें इनका निर्णय करेंगी और भूमि हस्तांतरण के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा ।

ऊपर बताये गये प्रतिबन्धों के साथ यह राज्य संघ का अलग स्वायत्तशासी राज्य होगा और समय आने पर यह भी अन्य राज्यों की शक्तियां प्राप्त कर लेगा ।

यह हर्ष की बात हैं कि इस समस्या का हल हमने सैनिक तरीकों से नहीं बल्कि राजनैतिक तरीकों से किया है और उनको संघ में बराबर का साझेदार बनाया हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी में भी जरा समझा दीजिये क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है । हमारे प्रधान मंत्री जी हिन्दी भी जानते हैं और वह हिन्दी में भी समझा सकते हैं । बिना इसको समझ हुए हम कैसे इसके पक्ष में अपना अथवा विपक्ष में मत दे सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले भी एक दो बार कहा है कि थोड़ी सी मदद जो आप प्रधान मंत्री जी से मांगते हैं, आप अपने साथ बैठ हुए किसी माननीय सदस्य से भी मांग लें ।

श्री रामेश्वरानन्द : आपसे मांग रहा हूं लेकिन आप देते ही नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सारी चीज का तर्जुमा करना मेरे लिये मुश्किल होगा ।

श्री रामेश्वरानन्द : आपके सामने हम भी बैठे हैं और हमारी कठिनाई को भी आपको अनुभव करना चाहिय । कैसे हम अपना मत दे सकेंगे जब कि इसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं । ऐसी बात नहीं है कि में अकेला ही नहीं समझा हूं बल्कि और भी कई माननीय सदस्य हैं जो इसको समझे नहीं हैं

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना हमेशा ही संभव नहीं होता है । यह चीज़ पहले से ही चली आ रही है, पहले से ही ये अंग्रेजी में मूव होते आ रहे हैं । हमने आहिस्ता-आहिस्ता हिन्दी की तरफ जाना है । जहां तक हम पहुंचे हैं उससे आग जाने का हम यत्न कर रहे हैं ।

जो बिल पेश किया गया है, उसको आपने पढ़ा ही होगा और उसको समझने की कोशिश की ही होगी । उन्होंने बताया हैं कि एक अर्से से, १९५७ से उनको वैसे तो हक दे चुके हैं और वैसा वे करते चले आए हैं, तमाम हकूक का इस्तेमाल करते चले आए हैं । मगर अब उनको एक अलहदा नाम देना है और कुछ ताकत देनी है । यह इसका मकसद है और इस चीज को सामने रखते हुए उन्होंने इस बिल को पेश किया जो कि आपके सामने है ।

श्री रामेश्वरानन्द : आवश्यकता क्या पड़ गई, यह नहीं बताया आपने ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए । क्या श्री बड़े अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**श्री बड़े** : मैं दोनों संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नाम एक ही हैं ?

श्री बड़े : नाम अलग अलग हैं ।

अध्यक्ष महोदय : फिर दोनों के नाम पढ़ दीजिये ।

श्री बड़े : मैं विधयकों को प्रवर समिति को सौंपे जाने के लिए दो संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इन सब माननीय सदस्यों की क्या सहमति प्राप्त कर ली गई है ?

श्री बड़े : जी हां, सहमति प्राप्त कर ली गई है और इसलिए अलग-अलग नाम दिए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है । अब ये दोनों एमेंडमेंट्स और ये बिल हाउस के सामने हैं । इसके लिए चार घंटे रखे गय हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मेरा निवेदन है कि इन विधेयकों के लिए समय ४ घंट से ६ घंटे तक बढ़ा दिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह समय अपर्याप्त हुआ, तो सदन और निर्णय कर सकता है और इसे बढ़ा सकता है ।

श्री राम सेवकयादव (बाराबंकी) : संशोधन मैंने भी कल भेजे थे लेकिन वे आ नहीं सके हैं । मैं निवेदन करूंगा कि उनको भी मुझे मूव करने की इजाजत दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : पता लगा लूंगा कि अगर वे कल भेजे थे तो क्यों नहीं आये हैं । देरी में आपने भेजे होंगे । इसको देख लिया जायेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : वर्तमान विधेयक नागालैंड और त्यूनसांग क्षेत्रों के लोगों द्वारा व्यक्त की गई इच्छा के कारण लाया गया है और वह एक लम्बे समय की बातचीत के बाद तैयार किया गया है । इसमें वे सिद्धान्त सन्निहित हैं जिनको हम बहुत पहले ही स्वीकार कर चुके हैं । उसे पारित किया जाना आवश्यक है ।

राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं । वे यथाशीघ्र जनता के प्रतिनिधियों को मिलनी चाहियें । राज्यपाल के हाथ शक्तियों का अत्यधिक केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिये ।

जहां तक त्यूनसांग क्षेत्र का सम्बन्ध है, विधान सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचनों का उपबन्ध होना चाहिय । पता नहीं वहां अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों रखा गया है ।

नागालैंड के विकास के लिए अधिक वित्तीय उपबन्ध किया जाना चाहिये । उसे दो प्रथम योजनाओं के लाभ नहीं मिल सके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम की भौगोलिक स्थिति एवं संचार साधनों की दृष्टि से यह आवश्यक है कि नागालैंड का अलग राज्यपाल हो ।

विधेयक के अन्तर्गत राज्यपाल को संसद् के किसी भी अधिनियम के निरसन की शक्ति दी गई है। इस सम्बन्ध में अधिक छानबीन किये जाने की जरूरत है। सरकार को इस पर और प्रकाश डालना चाहिये ।

नागालैंड विधेयक पर हुए विवाद का उत्तर देते हुए, मुझे आशा थी कि प्रधान मंत्री उच्च न्यायालय का भी उल्लेख करेंगे । मेरा विचार है कि यदि इसकी भी अलग से व्यवस्था हो जाये तो अच्छा । उन लोगों को नागालैंड से गोहाटी तक नहीं आना पड़ेगा । यह भी देखना चाहिये कि उच्च न्यायालय ऐसे स्थान पर हो जो वहां के लोगों के लिए सुविधापूर्ण हो । नागालैंड को पूर्ण आन्तरिक स्वतंत्रता होगी, वे अपना सर्वमुखी विकास कर सकेंगे । देश में एकता स्थापित करने का भी यही रास्ता है । इन शब्दों से मैं नागालैंड विधेयक का समर्थन करती हूं और नागा भाइयों का भारतीय संघ में सम्मिलित होने पर उनका स्वागत करती हूं ।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी): मैं देश को बहुत राज्यों में विभाजित करने के पक्ष में नहीं हूं । परन्तु प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से देखा जाये तो नागालैंड राज्य के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय सर्वथा उपयुक्त है । परन्तु इसके साथ ही ऐसा करने से उस राज्य की स्वावलम्बिता का प्रश्न अवश्य सामने आता है । नागालैंड का कुल क्षेत्र ६,३०० वर्गमील है और जनसंख्या ३६०,००० है । परन्तु साधन केवल ३ लाख के हैं । इसके साथ ही नागा विद्रोहियों की हिंसात्मक कार्यवाहियों को आगे हमने घुटने टेके है । खेद की बात है कि सरकार नागा विद्रोहियों के आगे झुक गई ।

इस समय हमारे देश की सीमाओं पर हो रही गड़बड़ के कारण देश की सुरक्षा को खतरा है । और मेरा मत यह है कि देश में विघटन की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए ।

पूर्वोत्तर सीमान्त पर एक बड़े राज्य के निर्माण के प्रश्न की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । फिर यह प्रश्न भी है कि क्या इससे समस्या स्थायी रूप से हल हो सकती है कि नहीं । नागालैंड के निर्माण से और भी कई राज्यों के निर्माण करने की मांगें उभर आयेंगी । फिर यह भी प्रश्न है कि नागालैंड को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं रखा जाना चाहिए था । यह मंत्रालय उसकी देखभाल अच्छी प्रकार कर सकता है । ऐसा करने से तो यही विचार होगा कि नागालैंड के लोग विदेशी ही हैं ।

यह भी ठीक है कि राज्यपाल को सभी प्रकार के बहुत से अधिकार दिये गये है । त्युनसांग के बारे में भी बहुत व्यापक अधिकार उनको दिये गये हैं । मेरा मत है कि उनको इन अधिकारों पर कुछ रोक लगाई जानी चाहिए । आशा है कि इस विधेयक से नागालैंड में शान्ति स्थापित हो जायगी और उसकी प्रगति हो सकेगी । क्योंकि हमारी नीति है कि किसी को सताया न जाये । मैं इस बात का समर्थक हूं कि कोहिमा में आसाम उच्च न्यायालय की एक "सर्किट बेंच" स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिय । हमें इस बात की स्मृति है कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द सेना बना कर सब से पहले तिरंगा कोहिमा में ही फहराया था । अच्छा है कि यह ऐतिहासिक धरती भारतवर्ष का अंग बनेगी ।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री स० मु० जमीर)** : मैं विधेयक का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं । मुझे विश्वास है कि इसके बारे में अन्ततोगत्वा एक मत हो जायगा । यद्यपि

†मूल अंग्रजी में

[श्री स०म० जमीर]

नागालैंड की पृष्ठ भूमि के बारे में उल्लेख किया था, परन्तु इस बारे में भी कुछ माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यद्यपि नागालैंड का क्षेत्रफल बहुत कम है फिर भी इसके बारे में इतना कहा जा सकता है कि भारतीय संघ के अन्तर्गत नागालैंड का निर्माण भारत के लिए गर्व का मामला है । १८३० की बात है जब कि प्रथम बार अंग्रेजों ने नागालैंड पर आक्रमण किया था । अंग्रेजों की शक्ति के आगे बेचारे नागा ठहर न सके, यद्यपि नागा लोग बहादुर, ईमानदार और मेहनती हैं । १८३४ से नागालैंड में अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया । वैसे यह भारत का अंग था परन्तु अंग्रेजों ने इसे अलग अलग रखा । इसका यह भी कारण हो सकता था कि १९२९ में साइमन कमीशन को एक ज्ञापन दिया था कि यदि ब्रिटिश शासन का अन्त हो तो उन्हें अपने भविष्य के निर्णय करने का अधिकार दिया जाये । इस प्रकार नागाओं के लिए स्वतंत्र राज्य बनाने की बात नयी नहीं थी । अतः उन्होंने १९४७ में यह मांग प्रस्तुत की । यह बात १९२९ से ही चल रही थी । भारत की स्वतंत्रता के बाद नागालैंड का विभाजन हो गया ? कुछ हिस्सा नेफा में चला गया, कुछ आसाम में और कुछ मनीपुर में । इससे नागा लोगों की भावनाओं को बहुत आघात पहुंचा । इस दिशा में श्री गोपीनाथ बारदलोई के प्रयत्न असफल हो गये, परन्तु उस समय के आसाम के राज्यपाल श्री अकबर हैदरी के प्रयत्नों के कारण नागाओं से एक नौसूत्री समझौता हुआ । परन्तु इसे भी कार्यान्वित करने के मामले में मतभेद हो गया । १९५१ में नागा राष्ट्रीय परिषद् में जनमत भी करवाया, इस बात से हम इन्कार नहीं कर सकते । १०० प्रतिशत मत स्वतन्त्र नागालैंड की स्थापना के पक्ष में पड़े । १९५२, १९५७ के दो आम चुनावों का भी नागाओं ने बहिष्कार किया । इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप नागालैंड में खिंचाव बहुत बढ़ गया ।

१९५४ में फिजो और उनके साथियों ने हिंसा कार्य आरम्भ कर दिये । उन्होंने अशिक्षित नागाओं को गुमराह करना आरम्भ कर दिया । उसके दल ने स्वतन्त्रता के नाम पर निरपराध ४०० नागाओं की हत्या कर दी । श्री टी० शकहरी और बहुत से सरकारी कर्मचारियों की हत्या ने स्थिति को अति शोचनीय बना दिया । सरकार को सुरक्षा कार्यवाही करनी पड़ी । इन सब परिस्थितियों में नागाओं का प्रथम सम्मेलन अगस्त, १९५७ में कोहिमा में हुआ । उसी सम्मेलन में यह तय हुआ कि भारतीय संघ के अन्तर्गत अन्तिम राजनीतिक हल निकालने का ऐतिहासिक निर्णय किया गया । यद्यपि फीजों ने अमरीका में यह कहा कि इस सम्मेलन को नागाओं का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता । सम्मेलन के निर्णय के अनुसार शिष्टमंडल दिल्ली आया, और उन्होंने यहां आकर प्रधान मंत्री से भेंट की । परस्पर समझौता हो गया और नागाओं को शान्त रहने की अपील की । रूहपोश हो गये लोगों को प्रकट होने के लिए काफी समय दिया गया । उन्हें क्षमा कर देने की घोषणा कर दी गयी ।

नागाओं का दूसरा सम्मेलन १९५८ में उन्गमा में हुआ, उसमें रूहपोश हुए लोगों से सम्पर्क करने के लिए एक सम्पर्क समिति बनाई गई । परन्तु उन लोगों ने स्वतन्त्रता से कम किसी भी बात पर वार्ता करने से इन्कार कर दिया । अक्तूबर, १९५९ में तीसरा सम्मेलन हुआ । पूरे नौ दिन की चर्चा के बाद १६ सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया गया । इसी के आधार पर वर्तमान नागालैंड विधेयक तैयार किया गया है । इसी के आधार ही अन्तरिम परिषद् ने वहां १८ फरवरी, १९६१ को अपना कार्य आरम्भ किया था । इस सम्बन्ध में नागाओं की आने वाली सन्तानें डा० आओ को

नागालैंड के राज्य के निर्माता के रूप में याद करती रहेंगी। इस कार्य के लिए काफी खून बहा और बलिदान हुए और नागालैंड भारत संघ का एक अंग बना।

यह है वह सारी पृष्ठ भूमि जिसमें कि यह विधेयक पारित किया जा रहा है। इस विधेयक के पारित हो जाने से नागालैंड के कुछ लोगों के सन्देह दूर हो जायेंगे। भूमि तथा उसके संसाधनों पर नागाओं के पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी विशेष उपबन्धों को स्वीकार करने में सरकार ने न केवल नागाओं की स्वामित्व की भावनाओं का आदर ही किया है वरन् उदार हृदयता भी दिखाई है। ऊनशांग जिले के लिए तनिक जटिल व्यवस्था है। पिछड़े लोगों को कुछ विशेष सुविधायें दी गयी हैं। अब वहां नागा विधान सभा और मंत्रिमंडल होगा। ऊनशांग क्षेत्र के लिए एक विशेष मंत्री होगा जिसके परामर्श से राज्यपाल कार्यवाही करेंगे। हमने सरकारी कर्मचारियों को क्षेत्रीय परिषदों में लेने की व्यवस्था भी कर दी है ताकि लोगों को लोकतंत्रीय संस्थाओं के प्रशासन का अनुभव हो सके। इस प्रकार नागाओं की सभी प्रकार की भावनाओं का आदर किया गया है। यह बात बिल्कुल गलत है कि सरकार ने हिंसा के दबाव में आकर ऐसा किया है अथवा खुश करने की नीति अपनाई है।

वित्तीय मामलों के बारे में मेरा निवेदन है कि इस नवराज्य के पुनर्निर्माण के लिए केन्द्र को ही वित्तीय सहायता देनी होगी। इस क्षेत्र के विकास के लिए वित्त की कमी नहीं रखी जानी चाहिए। सीमान्त का विकास केवल उस क्षेत्र के लोगों की ही जिम्मेदारी नहीं वरन् समस्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर) : मैं इस बारे में आसाम के लोगों की राय सभा के समक्ष रखूंगा। यद्यपि मैं नागालैंड विधेयक, १९६२ का समर्थन करता हूं परन्तु मुझे दुःख है कि ऐसे समय में जब कि देश में फूट को समाप्त करने की समस्त वृत्तियों को खत्म करने के प्रयत्न हो रहे है, यह दुर्भाग्य की बात है कि हम एक ऐसे विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण की विचारधारा के सर्वथा विरुद्ध है। यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के १५ वर्ष बाद भी देश के उत्तर-पूर्वी खंड में स्थिति प्रशासनीय तौर से ठीक नहीं हुई। विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों से भी वहां शान्ति की स्थापना नहीं हो सकी। यहां पर १९४७ में २१ जिलों का एक प्रशासन था अब वहां ९ प्रशासन हैं।

यह दुख की बात है कि जब भी आसाम का मामला आता है तो भाषा का प्रश्न अवश्य उठा दिया जाता है। तथा कुछ लोग वहां के प्रशासक दल को बदनाम करने में तुले हुए हैं। अब लोगों का यह आरोप है कि नागालैंड का जन्म भी भाषा समस्या के कारण हुआ है। वास्तविकता यह है कि पृथक पहाड़ी राज्य की मांग १० वर्ष पुरानी है तब भाषा सम्बन्धी विवाद नहीं उठा था।

वस्तुतः आसाम भाषा अधिनियम अत्यन्त उदार है और उसमें भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ अत्यन्त उदारता बरती गई है। भाषा के मामले में आसामियों और नागाओं के बीच कोई विवाद नहीं है।

नागा क्षेत्र में कई बोलियां बोली जाती हैं तथापि केवल आसामी ही एक मात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक जाति के लोग दूसरी जाति से सम्पर्क स्थापित करते हैं। यही कारण है कि

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री प्र० चं० बरुआ]

नागा जाति सम्मेलन की सारी कार्यवाही आसामी में हुई और उन्होंने अपने संविधान में आसामी, नागा तथा हिन्दी को मान्यता दी है ।

यह स्मरण रखना चाहिये कि पृथक नागा राज्य की मांग अंग्रेजों के समय नहीं थी । न कोई पहाड़ी जिला पृथक राज्य की मांग कर रहा था तथापि अब प्रत्येक क्षेत्र से पृथक राज्य की मांग उठने लगी है । सरकार ने कदाचित खून खराबी रोकने के लिये यह मांग स्वीकार कर ली । तथापि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा ।

इस सम्बन्ध में आसाम विधान सभा से राय मांगी गयी थी । उन्होंने इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया उसका आशय इस प्रकार है :

"इस विधान सभा का यह मत है कि देश की एकता, सुदृढ़ता को देखते हुए तथा पूर्वीय क्षेत्र के विकास तथा वहां राजनैतिक स्थिरता लाने के कारण भारत के अधीन राज्यों का एकीकृत राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिये ।

तथापि विधान सभा का यह मत है कि नागालैंड राज्य विधेयक १९६२ से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी ।"

विधान सभा को ज्ञात है कि भारत सरकार नागालैंड बनाने के लिये वचनबद्ध हो चुकी है ।

हमें दुख है कि हमारे नागाबन्धु हमसे पृथक हो रहे हैं तथापि आसाम और नागालैंड की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि वे एक दूसरे से पृथक् नहीं रह सकते । मैं नागाओं के सुख तथा समृद्धि की कामना करता हूं मुझे विश्वास है कि भविष्य में दोनों पुनः एक होंगे ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : भारत एक देश है । एक भूमि है अतः यहां दूसरी भूमि लैंड को जन्म देना ठीक नहीं । नागालैंड का नाम नागा प्रदेश होना चाहिये ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद ३ के अधीन आसाम विधान सभा की राय मांगी गयी थी, उन्होंने जो मत व्यक्त किया है उससे इस विधेयक का सरासर विरोध किया गया है इतना ही नहीं । लोक सभा में आसाम के लगभग सभी सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है । अठारह में से केवल दो सदस्यों ने इसका आंशिक समर्थन किया है अतः यह उचित नहीं है कि हम आसाम के जनमत की, जो उसका निकटवर्ती पड़ोसी देश है उपेक्षा करें तथापि मैं जानता हूं कि सरकार इस सभा में बहुमत के बल पर सब कुछ करवा लेगी ।

सरकार का यह रवैया उचित नहीं है । यह स्मरण रखना चाहिये कि इस राज्य के अन्तर्गत केवल ६३०० मील भूमि आयेगी और ३,६०,००० की जनसंख्या होगी । एक प्रकार से इस प्रकार हम फीजो की जिद पूरी करेंगे । वस्तुतः यह हमारी प्रशासन क्षमता तथा कूटनीतिज्ञता पर भारी आक्षेप है ।

आश्चर्य की बात यह है कि साम्यवादी दल ने इस विधेयक का समर्थन किया है । वे सामान्यतः अमेरिका का हर बात में विरोध करते है तथापि वे यह नहीं देख सके कि यह ईसाई मिशनरियों की ही देन है । मैं इस सम्बन्ध में डाक्टर होमेश्वर देव चौधरी को उद्धृत करता हूं जिन्होंने कहा था ईसाई मिशनरियों ने उन्हें इस बात की शिक्षा दी है कि वे एक पृथक राष्ट्र हैं तथा उन्होंने उनमें पथकता की भावना भरी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें स्मरण रखना चाहिये कि भारत के सभी प्रदेशों में आदिम जातियां रहती हैं। वे भी भाषा, रीति रिवाजों तथा रहन सहन के आधार पर पृथक् राज्य की मांग कर सकते है। तथापि हम उनकी मांगों की मान्यता नहीं देंगे जब कि हमने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को स्वीकार कर लिया है।

इस समस्या का सब से शोचनीय पहलू यह है कि हम पहले से ही उनके लिये बहुत कुछ कर चुके हैं। हमने उनके लिये प्रादेशिक परिषदें बनायीं तथापि वे सन्तुष्ट नहीं हुए। तो क्या वे नागालैंड की स्थापना से सन्तुष्ट हो जायेंगे। फीजो अपना मत व्यक्त कर चुका है कि वह हमसे सन्तुष्ट नहीं है। दुख की बात यह है कि न हमने फीजो पर कोई आरोप लगाया और न उसे प्रत्यर्पण द्वारा भारत ही लाने को मजबूर किया।

इस राज्य की वित्तीय अवस्था भी आत्मनिर्भर नहीं रहेगी। पहले ही वर्ष इस राज्य को ४.७० करोड़ का घाटा होगा। क्या हम इस राशि का अन्यत्र उपयोग नहीं कर सकते है। इसके स्थान पर हमें इस राशि का उपयोग ऐसे प्रचारक भेजने में करना चाहिये था जो वहां राजनैतिक जागरूकता व एकता की भावना पैदा करते। विचित्रता तो यह है कि राज्यपाल, न्यायपालिकायें इत्यादि सब एक ही रहेंगी केवल एक विधान सभा और बनेगी जहां ६००० व्यक्तियों में एक प्रतिनिधि चुना जायेगा जब कि भारत के अन्य प्रदेशों की विधान सभाओं में ६०,००० से ९०,००० के बीच एक प्रतिनिधि चुना जाता हैं।

वस्तुतः हमें चाहिये कि हम देश को संगठित और सुदृढ़ बनावें न कि छोटे छोटे एकक बना कर उसे विघटित करें। नये राज्य की स्थापना की पहली शर्त यह होनी चाहिये कि वह आत्मनिर्भर होना चाहिये तथापि हम देश में विघटन के बीज बो रहे हैं। गोआ, पांडुचेरी, चन्द्रनगर के सम्बन्ध में भी हमारी नीति ढुलमुल हैं हम उन्हें पड़ोसी राज्यों में मिलाने में हिचकिचा रहे हैं।

यदि यही रवैया जारी रहा तो विघटन और पृथकता के बीज फैलते जायेंगे और कल को नागालैंड के समीपवर्ती जिलों से भी पृथकता का नारा लगने लगेगा और देश ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जायेगा जिनका प्रशासन अलग अलग तरीकों से होता है।

अन्त में मैं यह अनुरोध करता हूं कि भले ही हम पृथक् राज्य बनाने के लिये वचनबद्ध हैं तथापि हमें इस मामले में आसाम की जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : मैं नागालैंड की स्थापना का स्वागत करता हूं। नागा सम्मेलन और भारत सरकार के बीच जो समझौता हुआ उससे वहां खून खराबी बन्द हो गयी और नागाओं की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को मूर्तरूप मिला।

ऐसे समय हम डा० आओ की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं जिन्होंने नागालैंड के लिये अपने प्राणों का बलिदान दिया।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि इससे राजनैतिक स्थायित्व पर आघात होगा। मेरे विचार से यह बात सही नहीं है। मेरे विचार से जब किसी जाति या राष्ट्र की महत्वाकांक्षायें पूरी होती हैं तो उनसे वे शान्ति बनाये रखने में अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

यह प्रसन्नता का विषय है कि इस प्रदेश के सम्बन्ध में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और वास्तविकता यह है कि उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

ऐसे समय में भारतीय सेना के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी बीरता से नागाओं की गोलियों का सामना किया है। निस्संदेह हमारी सेना के युवकों पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अत्याचार किये हैं तथापि मेरे विचार से इसमें फीजो की शरारत का भी हाथ है।

नागालैंड ७५ वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के अधिकार में रहा। उन्होंने कभी भी उनके सुधार का प्रयत्न नहीं किया। उन्हें अंग्रेजी राज्य के वे लाभ नहीं दिये गये जो कि उनके अन्य बन्धुओं को प्राप्त हुए। फल यह हुआ कि वे बहुत पिछड़े रह गये लेकिन अब उनमें भी आगे बढ़ने की भावना पैदा हो रही है जिसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिये।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने आन्तरिक मुक्ति विनियम १८७३ और सीमान्त क्षेत्र विनियम १८८० बना कर इस बात का प्रयत्न किया कि पर्वतीय क्षेत्र के व्यक्तियों को मैदानी क्षेत्र के व्यक्तियों से पृथक् रखा जाय। इस प्रकार उनके तथा भारत की अन्य जनता के बीच एक दीवार बना दी गयी जिससे कि स्वाधीनता की लहर वहां तक न पहुंचने पाये। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी भारत सरकार ने वहां की जनता में भारतीय भावना भरने के लिये कुछ नहीं किया।

तथापि वहां १९४७ से ही फिजो के नेतृत्व में नागालैंड को पृथक् राज्य बनाने के प्रयत्न हुए। २१ मई, १९४७ को फिजो ने नागा राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना की। १९५३ में भारत सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की घोषणा की गई १९५६ में नागालैंड में एक समानान्तर सरकार की स्थापना की गई और उन्होंने एक संविधान बनाया।

मैं नहीं चाहता कि इस समस्या का समाधान विधि और व्यवस्था के आधार पर हो। लेकिन सरकार ने सन् १९५७ तक इस समस्या का समाधान उस समय तक नहीं किया जब तक कि लोगों ने मिलकर नागालैंड अलग से बनाने की मांग नहीं की। आखिरकार प्रधान मंत्री ने जनता की चिन्ता का अनुभव किया और उन्होंने नागाओं के लिए एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की। जहां तक विधेयकों के उपबन्धों का सम्बन्ध है, संविधान (संशोधन) विधयक का खंड २ राज्यपाल को बहुत अधिकार शक्ति प्रदान करता है। यह समझ में नहीं आता है। 'त्युएनसांग' क्षेत्र के लिये अलग प्रशासन की व्यवस्था करने की भी कोई जरूरत नहीं थी जब कि हम सारे राज्य के लिये एक निर्वाचित विधान सभा की व्यवस्था कर रहे हैं। यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती कि सभी वित्तीय शक्तियां भी राज्यपाल को दे दी गई हैं। ऐसा क्यों किया गया है। "शान्ति और व्यवस्था" को राज्यपाल को सौंप देना भी एक गलत बात है। यह उत्तरदायित्व विधान सभा को होना चाहिये। इससे मतभेद होने का डर है। हो सकता है कि सैनिक तथा असैनिक प्राधिकारियों में इस बात को लेकर मतभेद हो जाये। और पीछे ऐसा हुआ भी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह उपबन्ध विधेयक में नहीं होना चाहिये। राज्यपाल को मनमाने अधिकार दिये गये हैं। 'त्युनसांग' कार्यों के मंत्री को राज्यपाल के अधीन रहना होगा। ऐसी संभावना है कि इस मंत्री में तथा अन्य मंत्रियों में मतभेद हो सकता है। इस कारण मैंने एक संशोधन रखा है कि विधेयक में से खंड २ निकाल दिया जाये और उसके स्थान पर वे उपबन्ध रख दिये जायें जो अन्य राज्यों पर लागू होते हैं। यदि ऐसा नहीं किया तो यह प्रजातन्त्र नाम का प्रजातन्त्र होगा।

†**श्री स० रो० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : इस विधेयक का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्तावित नागालैंड का क्षेत्रफल ६,००० वर्ग मील है। यहां लगभग ४ लाख लोग रहते हैं जो इधर उधर बिखरे हैं और उनकी आय बहुत कम है। भारत के किसी भी राज्य के किसी भी जिले से यह क्षेत्र छोटा हैं। तथा यहां की जनसंख्या भी कम है अतः हर आदमी के दिमाग में यह बात आती है कि फिर क्यों नागालैंड बनाया जाये लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में यह नागालैंड बनाना आवश्यक है।

हालांकि नागा लोग हमारे साथ एक लम्बे अर्से से चले आ रहे हैं लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। संचार साधन न होने के कारण वे एक प्रकार से अलग बने रहे हैं। पिछड़े होने के कारण वे एक दूसरे के प्रति भी विद्रोही बने हुए हैं। वहां बहुत सी इकाइयां थी जो आपस में एक दूसरे से लड़ती रही थीं। उनका जीवन बहुत ही कठोर था। यह स्थिति अंग्रेजों के आने से पहले थी। उन्होंने यहां आकर हर चीज पर अपनी मुहर लगा दी। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ये नागा लोग देश के अन्य भागों से जोड़ दिये गये। इसी प्रकार कारबार चलता रहा। भारत स्वतन्त्र हुआ। यहां के लोगों ने यह इच्छा प्रकट की कि उनके यहां भी प्रशासन अच्छा हो। और प्रशासन में उनका भी हाथ हो अतः नागा लोगों में फैले हुए असन्तोष तथा प्रशासन द्वारा उनकी समस्याओं को सुलझाने में असमर्थता से एक काबू से बाहर स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। कुछ विदेशों में चले उपक्रम नागा लोग उस परिस्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं तथा उनके कदम हर जगह जम रहे हैं। समस्या के खंडश: बात बहुत पुरानी हो चुकी है। केवल पूर्ण स्वायत्तता से ही स्थिति को वश में किया जा सकता है। अतः इस स्वायत्तता की पूर्ति के उद्देश्य से लाये गये विधेयक को समर्थन प्राप्त होना चाहिये।

†**डा० कोलाको** (गोआ, दमन, द्वीव) : इस विधेयक के द्वारा संविधान में जनता को दी गई न्यायपूर्ण आकांक्षाओं को मान्यता दी गई है। इससे सभी झगड़े और कष्ट समाप्त हो जायेंगें। दूसरे यह विधेयक नागालैंड के लोगों को एक सम्पूर्ण राज्य का सम्मान प्रदान करता है जिसके द्वारा उनको कुछ परित्राण मिलेगा। इस विधेयक के द्वारा 'त्युनसांग' में एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना की जायेगी।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

यह आवश्यक है कि लोग ऐसा अनुभव करें तथा देखें कि उनकी अभिलाषा और आकांक्षा का एक विस्तृत और वास्तविक के माध्यम से आदर और सम्मान हो जिससे वह देश के साथ एकीकरण प्राप्त कर सकें। गोआ की उसी पद के लिये आंकांक्षा ठीक ही थी क्योंकि उससे उसकी स्वाभाविक उन्नति का प्रतिनिधान होता है।

नागालैंड स्वतन्त्र ही नहीं हुआ है वल्कि भारत का एक अलग राज्य भी बनाया गया है। आसाम से अब इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। वहां उनकी अपनी विधान सभा रहेगी। इस प्रकार वह अन्य राज्यों के समान हो जायेगा।

गोआ भी चाहता है कि उसे भी यह सम्मान मिले। केन्द्र और राज्यों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदन प्रदान द्वारा स्वस्थ प्रकार का सम्पर्क बना रहना चाहिये और ऐसा संगठन पर्यटन से होना चाहिये। इससे लोगों के विभिन्न समुदायों को परस्पर खुल कर मिलने जुलने का अवसर मिलेगा।

संविधान के अनुच्छेद के अनुसार गोआ, दमन और दीव को भी राज्य परिषदों में स्था मिलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : इस विधेयक को देखने से पता चलता है कि नागालैंड के प्रस्तावित राज्य को न तो सम्पूर्ण राज्य कहा जा सकता है और न ही इसे केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र ही समझा जा सकता है। संभव है कि इससे नागा लोग सन्तुष्ट न हों। इसे बीच में रखा गया है। इससे इस बात का भी डर है कि कहीं केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र भी अपने यहां विधान मंडलों की मांग न कर बैठे। राज्यपाल को बहुत अधिकार दिये गये है। उच्च न्यायालय की भी अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। निर्वाचित निकायों को जो सुविधायें प्राप्त होती हैं उनकी व्यवस्था इस विधेयक में नहीं की गई है। ऐसा करना प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों के अनुसार नहीं है।

एक बात यह भी है कि अन्य राज्यों के बारे में तो विधि और व्यवस्था के लिये गृह मंत्रालय उत्तरदायी होता है किन्तु नागालैंड के बारे में विदेश मंत्रालय होगा। इससे यह प्रकट होता है कि इसके साथ अन्य राज्यों जैसा समान बर्ताव नहीं हो रहा है।

यह तथ्य कि हम एक नये राज्य की स्थापना करने लगे हैं जनसंख्या के उन समस्त भारों को प्रोत्साहन देगा जो पृथक राज्यों की मांग करते हैं। वे अपनी मांग को ज़ोर से पेश करेंगे। हमें यह मन में रखना चाहिये कि ऐसे समय पर विघटन की शक्तियां उत्पन्न न हों जब कि हम राष्ट्रीय एकीकरण के लिये समस्त प्रयत्न कर रहे है।

अंत में मैं यही कहूंगा कि यह विधेयक बहुत देर से लाया गया है। उस क्षेत्र में विधि और व्यवस्था की स्थापना करने के लिये बहुत पहले ही प्रस्तुत करता था। इस विधेयक के द्वारा हम संविधान के परिवर्तन कर रहे है। इस प्रकार के परिवर्तनों की भी एक सीमा होनी चाहिये। इस विधेयक का मैं केवल इसलिये ही स्वागत करता हूं क्योंकि इस के द्वारा एक नई कड़ी जोड़ी जा रही है।

श्री राम सेवक यादव : यह जो विधेयक लाया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। यह जो समस्या है यह आज़ादी के बाद से ही हमारे देश के सामने रही है और जिस तरह से इस समस्या को हल करना चाहिये था, उस तरह से इसको नहीं किया गया है। पिछले पन्द्रह वर्ष के इतिहास को यदि आप देखें तो आपको मालूम होगा कि उस इलाके में कितना ही खून बहा है, कितना ही धन बहा है और किस तरह से बदमज़गी और एक दूसरे के प्रति अविश्वास फैला है। ये सब ऐसी चीजें हैं जिन की कल्पना भी नहीं की जा सकती हैं।

आज पंद्रह वर्ष के पश्चात् इस तरह का विधेयक ला करके हम एक नागा राज्य की बात सोच रहे हैं। इसका मैं स्वागत ही करूंगा। यदि हम इन दोनों विधेयकों के बीच में जायें तो पाएंगे कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इनको प्रस्तुत किया गया है, शायद हम उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर भी जो थोड़ा बहुत किया जा रहा है, उसका स्वागत ही होना चाहिये।

यह सही है कि नागा लोग अलग राज्य चाहते थे, ये हिन्दुस्तान से अलग रहना चाहते थे। उनकी यह इच्छा बुरी थी। कुछ लोगों ने बगावत भी की, यह भी सही है। लेकिन बगावत करने वाले जो थे और वे भी जो इस देश के साथ थे, उन दोनों को ही अगर आप देखें वे सब हिन्दुस्तानी ही थे। मैं चाहता हूं कि उन के साथ भारत सरकार का वैमनस्य या दुश्मनी भरा बरताव नहीं होना चाहिय जैसा कि पिछले पंद्रह सालों में किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब हम विधेयक की ओर आते हैं तो पाते हैं कि इसका नाम नागालैंड विधेयक रखा गया है सब से पहला मेरा एतराज यह है कि यह जो नागालैंड विधेयक इसका नाम रखा गया है यह ठीक नहीं है। इसकी जगह इसको अगर नागा प्रदेश विधेयक कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। यह केवल नाम का ही प्रश्न है और मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी इसको जरूर स्वीकार कर लेंगे। ऐसा करने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये। जैसे हमारे अन्य प्रदेश हैं, महाराष्ट्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हैं या दूसरे प्रदेश हैं, उन के साथ यह नागालैंड अगर जोड़ा जाए तो ऐसा लगता है जैसे शायद कोई दूसरा देश हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा प्रधान मंत्री जी से ऐसा कर देने से कोई भारी परिवर्तन नहीं हो जाता है। हम दिमागी तौर पर एक तबदीली महसूस करते है, अपनापन महसूस करते हैं और कोई अलगाव नहीं पाते है इस वास्ते इसको नागा प्रदेश कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

इस विधेयक धारा ११ को जब हम पड़ते हैं तो पाते हैं कि वहां एक नागा राज्य की स्थापना की कल्पना की गई हैं और वहां के निवासयों को यह मौका दिया गया है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो कर अपनी तरक्की खुद करें और हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों के साथ साथ वे भी आगे बढ़ें। लेकिन वहीं पर हम उसकी उप-धारा १ और उसके खण्ड १ में यह भी पाते हैं कि छः जगहें वहां की विधान सभा की जो होंगी वे त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट के लिये सुरक्षित रहेंगी। यहां तक तो यह बात मेरी समझ में आ जाती है और मैं समझ सकता हूं कि उसके लिये छः जगहें निश्चित रहें, सुरक्षित रहें, वहां से उतने लोग जरूर चुन कर आएं। लेकिन उसके बाद जब कहा जाता है कि ये छः जगहें जो यहां की विधान सभा के लिये होंगी, इनकी पूर्ति बालिग मताधिकार के द्वारा नहीं होगी बल्कि वहां पर जो रिजनल काउंसिल की स्थापना होगी, उसके सदस्यों द्वारा इन जगहों के लिये चुनाव होगा, तो मैं इसको समझ नहीं पाता हूं। यह बात प्रजातंत्र के सिद्धान्त के विपरीत जाती है और और शायद जिन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसकी पूर्ति भी इससे न हो सकेगी। जो रिजनल काउंसिल की स्थापना होगी, उन्हीं में से छः आदमियों का चुनाव होगा, यह जो उपधारा २ इस विधेयक की है यह आपत्तिजनक है। वहां की जनता जोकि बालिग मताधिकार पर वोट देने का हक रखती है, उसके अधिकारों पर यह एक प्रकार का कुठाराघात है और इससे जनतंत्र की अवहेलना होती है। मैं चाहता हूं कि इसमें से इसको निकाल दिया जाए।

उपधारा ३ का जो प्राविसो है उसको भी नहीं रहना चाहिये उसी आधार पर जैसा कि मैंने निवेदन किया है।

संविधान में जो संशोधन किया जा रहा है, उस विधेयक की ओर अब मैं आता हूं। आर्टिकल ३७१ (ए) जो है, उसके प्राविसो (सी) और (डी) जो हैं और उसके बाद जो खण्ड १ है, ये सब चूंकि जनतंत्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध पड़ते हैं, इसलिये इनको डिलीट कर दिया जाना चाहिये। इस में भी मेरा यही संशोधन है, जैसा कि दूसरे विधेयक में था। मैंने यह भी कहा है कि नागालैंड की जगह नागा प्रदेश कर दिया जाये जहां जहां पर भी संविधान के संशोधन विधेयक में नागालैंड आया है, वहां-वहां उसकी जगह नागा प्रदेश कर दिया जाए :

उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो ३७१ (ए) का जो प्राविसो है, उसमें लिखा हुआ पाते हैं " कि राज्यपाल का निर्णय अंतिम निर्णय होगा और उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता।" एक तरफ तो हम वहां जिम्मेदार सरकार की स्थापना करते हैं लेकिन उसके साथ ही वहां के गवर्नर को इस तरह के अधिकार देते हैं, तो क्या इससे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हम

[श्री राम सेवक यादव]

वही चीज कर रहे है जो कि १९३५ के ऐक्ट में थी। इससे ऐसा लगता है कि जिन चीजों को हम ने अंग्रेजों से बिरासत में लिया है, जो चीजें हमें परम्परा से प्राप्त हुई हैं, उन्हीं को हम फिर से यहां पर लागू कर रहे हैं। यह भी वही चीज है कि एक रीजनल कौंसिल की स्थापना होगी। गवर्नर उस की स्थापना करेगा वही उसके लिये नियम बनायेगा कि किस तरह से उस के सदस्य हों, किस तरह से चुनाव हो। एक रीजनल कौंसिल बनेगी जिस में छः सदस्य होंगे, लेकिन उस का चेयरमैन कौन होगा? वहां का जिला-धीश। यह जो सारी धारायें हैं, वे जिस मक्सद की पूर्ति के लिये प्रधान मंत्री ने यह विधेयक उपस्थित किया है, शायद उस की पूर्ति न कर सकें। आगे चल कर उसी तरह से २, ३, ४, ५ और ६ उप- धारायें हैं। यह कहा जा सकता हैं कि इस तरह की व्यवस्था इसलिये की जा रही है कि सब खास जिले की एक खास अहमियत है। लेकिन जब विधेयक में यह व्यवस्था है कि जो सदस्य चुने जायेंगे उन में से :—

> "नागालैंड की विधान सभा में त्युनसांग से जो प्रतिनिधि आयेगा उसे त्युनसांग कार्यों का मंत्री बनाया जायेगा।"

जो सदस्य उस जिले से चुन कर जायेंगे उन में से एक मंत्री होगा। तो क्या यह काफी नहीं है कि वहां के हितों की वह सुरक्षा करे। उस में आप ने यह कर दिया है कि जो वहां की रीजनल कौंसिल होगी उस का अध्यक्ष वहां का जिलाधीश बनाया जाय और गवर्नर को यह अधिकार दिये जायें कि वह उसके लिये नियम बनावे। यह तो उसी तरह से है जिसे कहा जाता है कि "हाफहार्टे मेजर" है। उन लोगों का दृष्टिकोण दूसरा है और यह चीज दूसरी दिशा में है। यह ऐसा "हाफहार्टेड मेजर" है जो कि जिस तरह की स्वतन्त्रता स्वाधीनता वहां के लोग चाहते थे उसे पूरा नहीं करेगा। इस लिये मैं चाहता हूं कि मेरे सारे संसाधनों को मान कर इन चीजों को निकाल दिया जाये और पूरी जिम्मेदार सरकार के जो अधिकार होते हैं, जैसे कि दूसरे राज्यों में हैं, वे वहां पर भी दिये जायें।

प्रधान मंत्री ने जब इन दोनों विधेयकों को प्रस्तुत किया तो हम यह आशा कर रहे थे कि हमारा जो पूर्वी प्रदेश है, नेफा का इलाका है, मणिपुर का इलाका है या दूसरे राज्य हैं, उन के बारे में भी वे कुछ संकेत देंगे कि वहां किस तरह का सेटअप वे चाहते हैं। वे वहां पर जिम्मेदार सरकार देना चाहते हैं या नहीं। लेकिन इस की ओर कोई संकेत नहीं मिला। इस से हम एक ही नतीजा निकालने पर मजबूर है कि सरकार के सामने कोई इस तरह का उद्देश्य नहीं, कोई योजना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई दूरदर्शिता नहीं। केवल जहां जहां से प्रेशर पड़ा, जोर पड़ा, उसी तरह की चीजें कर दी गईं। अपनी तरफ से सोच कर के वहां के लिये कोई विशेष व्यवस्था कानून की या राज्य करने की बात नहीं की गई।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि अगर इस तरह से अलग अलग राज्य बनेंगे तो हमारी रक्षा पंक्ति और कमजोर होगी, देश बंट जायेगा और कमजोर हो जायेगा, लेकिन मैं बहुत निम्रता से निवेदन करूंगा कि मैं उन की राय से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर इस राय को मान लिया जाये तो जो हमारे पन्द्रह राज्य हैं वे हमारी कमजोरी का वायस बनेंगे। मैं इस दलील को नहीं मानता कि यह पन्द्रह राज्य देश को कमजोर करते हैं, मजबूत नहीं करते हैं। मैं मानता हूं कि लोगों की जो अपनी निजी और स्थानीय आवश्यकतायें हैं

उन्हें पूरा करने के लिये जिस तरह के कानून की ओर जिस तरह के संवैधानिक शासन की व्यवस्था जरूरी हो वह लोगों को दी जाये। उस से देश मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में प्रधान मंत्री बतलायें कि वे मणिपुर इत्यादि के बारे में क्या सोचते हैं। और ज्यादा अच्छा होगा कि इस तरह से अलग अलग विधेयक न लाकर सारी बातों को सोच कर एक विधेयक लाया जाये। इससे समय भी बचेगा और नतीजा भी अच्छा निकलेगा।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर): मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। काफी लम्बे समय के बाद नागा लोगों को यह रियायत दी गई है। नागा लोगों की अपनी मांग पर ही यह किया गया है। सरकार ने स्वयं नागाओं की वार्ता को इसमें रखकर अच्छा किया है। उनका संविधान क्या होगा तथा उनका स्तर क्या होगा इस बारे में भी वे ही निर्णय करेंगे। उनकी सहमति से ही यह राज्य बनाया जा रहा है।

हमें इस बात से डरना नहीं चाहिये कि इस राज्य से कोई हानि होगी। यह ठीक है कि नागालैंड के निर्माण से देश कमजोर नहीं होगा। लोगों को इस प्रकार का भय बिल्कुल बेकार है। इसके विपरीत देश मजबूत होगा। असन्तुष्ट नागा लोग देश के लिये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि सीमान्त स्थिति की दृष्टि से उनकी स्वामिभक्ति महत्वपूर्ण है। आज हमारी सीमा की स्थिति बहुत ही गम्भीर है। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारी सीमा पर लोग सन्तुष्ट रहें और वे लोग देशभक्त हों।

कुछ लोगों की शिकायत है कि नये राज्य को जो अधिकार दिये गये हैं वे पूरे नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह अस्थायी विधेयक हैं। आगामी वर्षों में अनुभव के आधार पर और भी परिवर्तन किये जायेंगे। यह अच्छी बात है कि आसाम के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नागालैंड तक बढ़ा दिया गया है। मेरा निवेदन है कि जब तक नागालैंड के निवासियों की रीति रिवाज, नियम, निधियां आदि ठीक से काम करे तब तक उन्हें इसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहना चाहिये।

नये नागालैंड राज्य का यह कर्त्तव्य होगा कि वहां काम करने वाली मिशनरियों से वहां के निवासियों की रक्षा करे क्योंकि वे लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। साथ ही सरकार को यह भी यत्न करना चाहिये कि लोगों में नये राज्य के प्रति तथा देश के प्रति स्वामिभक्ति बढ़े। अंत में मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट): मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। प्रत्येक सदस्य यही समझता है कि वर्तमान परिस्थितियों में यही कार्यवाही उत्तम थी। इसलिए इस विधेयक का स्वागत है।

यह विचार ठीक नहीं है कि नागालैंड की स्थापना से पूर्वोत्तर सीमांत कमजोर हो जायेगा। सीमांत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लागों की सन्तुष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिये यह अपरिहार्य है कि नागालैंड को आसाम से अलग कर दिया जाये।

नागा समस्या अंग्रेजी की विरासत है जिन्होंने उन क्षेत्रों को हमेशा एक पृथक इकाई बना कर रखा आदिवासी लोगों की समस्या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है वरन् उसका विस्तार

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

होता जा रहा है । इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र निर्णय किया जाना चाहिये, कुछ आदिम जातियां पृथक राज्य क्षेत्रों की मांग कर रही हैं। उन समस्त मांगों पर विचार किया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में नीति निश्चित की जानी चाहिये। यदि पहाड़ी लोग आसाम प्रशासन से अलग होने के लिये दृढ़ निश्चित हैं तो कटुता उत्पन्न होने से पूर्व ही मैदान के लोगों का, एक बड़ा संघ बना दिया जाना चाहिये।

संविधान की छठी अनुसूची के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिये। या तो पहाड़ी लोगों के अलग-अलग राज्यवार बना दिये जायें अथवा छठी अनुसूची को निकाल दिया जाना चाहिये और उन क्षेत्रों को राज्यों के साथ मिला दिया जाना चाहिये।

†**श्री बसुमतारी** (गोलपाड़ा) : मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। यदि आप नागालैंड के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि शुरू से ही यह अलग बना रहा है । देश की समस्त जनता ने कभी नागाओं से सम्पर्क बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया। यही कारण है कि हम उनके हृदय पर विजय नहीं पा सके। वे लोग बहुत ही सहृदय हैं उन्हें जीतना बहुत ही आसान है।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब उनका एक राज्य अलग से बनाया जा रहा है । वे इस अपने राज्य का विकास अपने ही ढंग से करेंगे। नागालैंड बहुत ही सरल एवं परिश्रमी हैं। उनमें जो एकता है, वह अतुलनीय है।

उनकी भाषा जन जाति की भाषा है । वह कई भाषाओं का मिश्रण हैं।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करूंगा। और आशा करता हूं कि नागा लोग अपने ढंग से अपने राज्य की उन्नति करेंगे तथा आसाम के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ायेंगे। मैं उनकी पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।

श्री तुलसी दास जाधव (नांदड़े): अध्यक्ष महोदय, इस हाउस के सामने नागालैंड के नाम से एक स्वतंत्र बिल स्टेट इस फ़ेडेरेशन में बनाने के लिए जो बिल आया है, इस को मैं हार्दिक सपोर्ट करता हूं।

जहां तक नागाओं की मांग का सम्बन्ध है, यह कोई नई बात नहीं हैं। अगर हम पुराने इतिहास को देखें, तो पता चलता है कि बहुत दिनों से, अंग्रेज़ों के राज्य में भी, नागाओं ने एक अलग प्रदेश के लिए आन्दोलन किया, लेकिन उस समय उन की मांग को स्वीकार न किया गया और उन की इच्छा के अनुसार एक अलग प्रदेश का निर्माण करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की गई। इस लिए अब इस बात की जरूरत महसूस की गई कि नागा लोगों को अपने रीति-रिवाज और रहन सहन के तरीके के अनुसार एक अलग प्रदेश में रहने का अवसर दिया जाये। जैसा कि मैं ने अभी निवेदन किया है, अंग्रेज़ों के राज्य में उन लोगों की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्वतंत्रता के बाद अगस्त, १९५७ में उन्होंने अपना पहला सम्मेलन किया और प्राइम मिनिस्टर, श्री नेहरू, से उन की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उन लोगों की ग्रीवेन्सेज़ और कठिनाइयों को देख कर उन के लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया गया। लेकिन उस के बनने के बाद भी उन्होंने दूसरा सम्मेलन किया। बार-बार सम्मेलन करने का उन का उद्देश्य यह था कि वहां पर जो लोग गड़बड़ कर रहे थे और राज्य के

†मूल अंग्रेजी में

ख़िलाफ़ कार्यवाहियां करते थे, उन को शांत किया जाये। यह दूसरा सम्मेलन उन्होंने मई, १९५८ में किया और उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई, जिस को यह काम सौंपा गया कि वह उन लोगों को ठीक तरह से समझाए, जो कि वहां पर नाराज़ थे, और इस प्रकार वहां पर शान्ति से काम चले। इस में थोड़ी सफलता मिली।

उसके बाद तीसरा सम्मेलन अगस्त, १९५९ को किया गया, जिस के बाद उन्होंने अपनी यह मांग रखी कि हम को एक स्वतंत्र स्टेट चाहिए।।इस संबंध में वे अप्रैल, १९६० में आसाम के चीफ़ मिनिस्टर से मिले और पंडित जी से जुलाई, १९६० में मिले। पंडित जी से मुलाकात के समय जो समझौता हुआ, उस के अनुसार यह बिल इस सदन में लाया गया है। इसलिए, जैसा कि मैं ने पहले भी कहा है, यह कोई नई बात नहीं है।

आसाम लेजिस्लेटिव असेम्बली को यह बिल भेजा गया और वहां पर पंडित जी का १ अगस्त, १९६० का स्टेटमेंट चीफ़ मिनिस्टर ने पढ़ कर सुनाया। इस को पढ़ने से मालूम होता है कि यह नई चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी चीज़ है, स्वतंत्र स्टेट करना जरूरी बात है। उस के अनुसार यह बिल आया है। यह बड़ी अच्छी बात है और इस में विरोध का तो कोई कारण ही नहीं है। लेकिन एक बात यह नज़र आती है कि जो कुछ कहा जाता है, उस के मूजिब इम्प्लीमेंटेशन होता है और यह खुशी की बात है। उन का जो तीसरा सम्मेलन हुआ, उस में उन्होंने सोलह मांगें रखीं। उस के मूजिब यह बिल हमारे सामने आया है और इस को पास करने में हम को खुशी होती है।

बहुत पहले, आजादी मिलने से पहले हम यह कहते थे कि हमें आजादी चाहिये, हमें मौका मिलना चाहिये कि हम जो हमारी तकलीफें हैं, उन को खुद हल करें, और हम अपने आप मालिक हों, हमारा ही यहां पर राज्य हो। ऐसी ही इच्छा नागा लोगों की भी थी। हमें उन के दर्द को महसूस करना चाहिये और उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। उनको बिरादरी के अन्दर ही स्वतंत्रता प्रदान करने के बारे में यह बिल आया है।

फिर एक यह भी बात है कि जब लोगों में अशांति होती है, लोगों के विचारों में परिवर्तन आ जाता हैं और उनकी कुछ इच्छायें होती हैं जिनको वे पूरा करने के लिये उतावले हो उठते हैं तो एक प्रकार की गड़बड़ फैल जाती हैं और शांति कायम नहीं रह पाती है और जो काम करने वाले होते हैं, जो राज काज चलाने वाले होते हैं, उन को भी चैन नहीं पड़ता है। हम शान्ति और व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि देश में कोई गड़बड़ी फैले। जहां पर रेवोल्यूशंज़ होते हैं, ब्लड रेवोल्यूशंज़ होते हैं तथा जहां पर कैपिटलिस्टक प्रवृत्तियां चलती हैं, उन जगहों पर तो समस्याओं का निबटारा करने के लिए अलग दूसरे तरीके होते हैं, दूसरे रास्ते होते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में जहां पर डेमोक्रैसी है, जहां पर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का निर्माण हम करना चाहते हैं और उस रास्ते पर चल रहे हैं और जहां पर लोगों के लिये ही, उन के हित के लिए ही, हमें काम करना है, हमें लोगों के विचार सुन कर, उनकी मांगों को, उनकी आकांक्षाओं को सामने रखकर ही कार्य करना होगा और यह उचित भी है। मैं समझता हूं कि एक अच्छा काम आज इस वक्त यहां पर नागालैंड स्थापित करने के बारे में बिल को लाकर किया जा रहा है। जिस तरह से पंद्रह अगस्त को जब हम स्वतंत्र हुए थे, हमने खुशियां मनाई थी उसी तरह से आज नागा लोगों के लिए भी खुशी का दिन होना चाहिये जो यह बिल यहां पास हो रहा है। उनको इस बात की खुशी होगी कि उन के लिए एक स्वतंत्र स्टेट बनने जा रहा है।

[श्री तुलसीदास जाधव]

एक माननीय सदस्य ने असम असैम्बली के अन्दर जो कुछ हुआ, वहां पर जो स्पीचिज़ हुई हैं, जो चीफ मिनिस्टर की स्पीच हुई है, उसका हवाला दिया है। वहां के चीफ मिनिस्टर साहब ने जो रेजोल्यूशन पेश किया उस को उन्होंने पढ़ दिया उस में से एक पैरा इस प्रकार है :—

> इस सभा का यह विचार है कि नागालैण्ड विधेयक १९६२ उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता जो कि पहले निश्चित किये गये थे।

यह ठीक है कि उन्होंने अपनी दृष्टि से वहां पर मूव किया। ऐसा करना एक साधारण सी बात है। आज भी देखा जाता है कि जब दो स्टेट्स के मध्य झगड़ा होता है तो जो नेतागण होते हैं, उन को वहां के लोगों की इच्छाओं के अनुरूप ही कहना और करना पड़ता है। यह तो कोई तीसरा आदमी ही फैसला कर सकता है, सैंटर में बैठने वाला ही फैसला कर सकता है कि क्या उचित है है और क्या अनुचित। वहां के लोग अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन पेश करें कि इनको नागालैंड दे दिया जाए, एक स्वतंत्र राज्य दे दिया जाए तो उन के लिए वहां पर मुश्किल हो सकती है। लोगों की अलग अलग भावनायें होती हैं। वहां पर जो स्पीचिज़ हुईं उन से चौदह आना प्रतिकूल थे और दो आना अनुकूल थे। बहुमती लोगों का कहना था कि स्वतंत्रता नागा लोगों को प्रदान कर देने से, असम की शक्ति कम होगी। ऐसा कहना उन के लिए स्वाभाविक ही था। लेकिन ऐसा विरोध वहां पर नहीं हुआ कि उन के लिए काम करना ही मुश्किल हो जाता। इस तरह की बातें मामूली होती हैं; छोटी होती हैं और इनको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिये। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और मैसूर के बीच झगड़ा है। इसका भी सैंटर की तरफ से न्यायिक हल, मैं समझता हूं, निकाल लिया जाएगा।। वहां के जो लोग हैं वे भी चाहते है कि कोई न्यायसंगत हल निकल आए। असम असैम्बली के रेंजोल्यूशन को देख कर तथा वहां हुई स्पीचेज़ को देख कर, इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना कि हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिये, ठीक नहीं है और इसका कोई आधार नहीं है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो बिल नागालैंड स्टेट बनाये जाने के बारे में आया है, यह बड़े आनन्द की बात है। पंजित जी ने ऐसा कर के इस बात का परिचय दिया है कि वह डेमोक्रेसी को कितना महत्व देते हैं और डेमोक्रेटिक रीति से ही काम करना चाहते हैं। इस वास्ते मैं समझता हूं कि इस चीज़ को ठीक रीति से समझा जाए और इस को सर्वसम्मति से पास कर दिया जाए।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

†**श्री बड़े** : अध्यक्ष महोदय, यह जो नागालैंड का बिल सामने आया है और साथ ही साथ कांस्टीट्यूशन को एमेंड करने के बारे में बिल आया है, इन दोनों के बारे में मैं ने एमेंडमेंट दिए हैं नेशनश इंटैग्रेशन का जो हमारा कि इनको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाए। इसका कारण है कि मैंने बिल में देखा है कि इस से नेशनल इंटैग्रेशन का जो हमारा ध्येय है, वह पूरा नहीं होता है। हम अपने देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त करते जा रहे हैं, छोटी-छोटी टैरिटरीज़ में बांटते जा रहे हैं और यही अगर हालत रहती है तो हम कहां जा कर रुकेगें। हमारे प्रधान मंत्री जी ने रावी के किनारे खड़े होकर कहा था कि हिन्दुस्तान एक है, यह हमारी मातृभूमि है और उन्होंने जय भारत का नारा बुलन्द किया था। इस चीज़ को हमने रीडर में पढ़ा है। लेकिन अब हम क्या देखते हैं। किसी को हाथ काट कर दिया जा रहा है, किसी को भारत माता का पैर काट कर दिया जा रहा है। जब मैंने इसको देखा तो गोल्डस्मिथ की स्टोरी मेरे सामने आ गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक गैस्ट उस के पास गया अपना घोड़ा लेकर । वह घोड़ा वहां मर गया । जब उस ने घोड़े को वापिस मांगा तो उसने घोड़े के बजाय एक लकड़ी उसको दे दी और कहा कि दिस स्टिक बिल बी यूअर हार्स । उसने कहा कि यह कैसा मजाक कर रहे हो, यह स्टिक कैसे हार्स हो सकती है । उसने कहा कि कुछ नहीं, यूविल वाक बिद यूअर लैग्ज़, लेकिन यह जो स्टिक है उसको हार्स ही समझो । इसी प्रकार का यह बिल है । १९३५ का जो एक्ट था उस में जिस तरह की पावर्स इम्पीरयलिस्टक गवर्नर को दे दी गई थीं, उसी प्रकार की पावर्स यहां पर भी गवर्नर को दी जा रही हैं और इस बिल का नाम नागालैण्ड रख दिया गया है । क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है, समझ में नहीं आता है । इस बिल में बहुत से ऐसे दोष हैं जिन को दूर करने के वास्ते इसको सिलैक्ट कमेटी को रेफर करना बहुत जरूरी है । आप ने उनको आटोनोमी तो दी लेकिन साथ ही साथ गवर्नर को एक मुगल एम्परर की हैसियत में उन के ऊपर ला खड़ा कर दिया है । ऊपर से तो ऐसा ही मालूम पड़ता है कि उनको आटोनोमी दी गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है ।

इसके साथ ही साथ मैं एक खतरे की घंटी भी बजा देना चाहता हूं और यह खतरा ईसाई मिशनरियों की तरफ से उपस्थित है । बैरीयर एलविन की किताब में भी इसका कुछ जिक्र है । ईसाई मिशनरीज़ जो हैं वे नागाओं में, आदिवासियों में बहुत ही गलत ढंग का, बहुत ही भ्रांतिपूर्ण प्रचार कर रहे हैं और उन को गुमराह कर रहे हैं, हम से अलग कर रहे हैं । उन्होंने हमेशा कहा है कि बैड नागाज़ अच्छे हैं, लेकिन गुड हिन्दूज़ अच्छे नहीं है । इस तरह की भावनाऐं वे इन लोगों के दिमागों में भरते जाते हैं । इनको वे हम से अलग करने की हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं । हमारे इतिहास को, हमारे धर्म-ग्रन्थों को तोड़ मरोड़ कर उन के सामने रख रहे हैं । उन्होंने उनको यहां तक कहा हैं कि शंकर भगवान ने किरात का रूप लिया था । उमा ने भी किरात का रूप लिया था । वे अर्जुन को मिले । अर्जुन ने नाग की कन्या उलुकी से शादी की । अब वे कहते हैं कि किरात का मतलब नागाज़ है, ऐसा महाभारत में है, ऐसा हमारा इतिहास है । इस तरह से वे उनको गुमराह कर रहे हैं और हमसे उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं । फिज़ो ने अशांति फैलाई और उसके आगे हमारी सरकार झुक गई । जिसको हम पिलपिली गवर्नमेंट करते हैं, वैसी यह गवर्नमेंट है । जो भी कोई इस पर प्रेशर डालता है, उस के आगे यह झुक जाती है । दबने वाली यह गवर्नमेंट है । प्रेशर आया और पाकिस्तान बन गया । प्रेशर आया तो महाराष्ट्र और गुजरात अलग-अलग हो गए । पंजाबी सूबे के बारे में भी शायद ऐसा ही ही होगा . . .

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री बड़े : इस तरह की प्रेशर थ्यूरी पर अगर आप चलते हैं तो यह गलत बात है । हमारे यहां पश्चिम में भी आदिवासी हैं । उनकी भाषा भी एक है और एक प्रान्त के ही वे रहन वाले हैं । कल को वहां से भी मांग उठ सकती है कि जब आप ने तीन साढ़े तीन लाख नागाओं के लिए नागालैंड दे दिया तो क्यों नहीं आप हमारे लिए भी आठ लाख के लिए भीलावा लैंड दे देते । तब आप क्या करेंगे । अगर वह भी, दे देंगे तो कहां तक आप जायेंग ।

अब भी वक्त है कि इस तरह की पृथकतावादी प्रवृत्तियों पर आप रोक लगायें । मैं चाहता हूं कि आप आज आवश्वासन दे कि आईंदा और अधिक भारत के टुकड़े नहीं होंगे । आपको चाहिये कि आप कहें कि अब की बार माफ कर दीजिय आइंदा और टुकड़े नहीं होने दिये जायेंगे ।

[श्री बड़े]

एक तरफ तो नेशनल इन्टैग्रेशन की बात चल रही है, उस कमेटी की मीटिंग चल रही है और वहां पर यह मांग की जाती कि देश एक होना चाहिये, इधर आप और टुकड़े करते जा रहे हैं। जवाहरलाल जी की वह बात कहां गई जो उन्होंने कही थी कि इंडिया इज अवर कंट्री और जो उन्होंने जयभारत का अर्थ बताया था कि वी आर आल वन क्यों आप हिन्दुस्तान के छोटे छोटे-टुकड़े करते जा रहे हैं। क्यों नहीं आप चार जोंज रखते और यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट करते। इससे आपका खर्चा कम होगा और आपको टैक्स बढ़ाने की जरुरत महसूस नहीं होगी। नागालैंड का पूरा खर्चा आप उठाने जा रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी गवर्नर को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई है। ऊपर से तो बहुत शो कर दिया है कि नागालैंड बनाने के बारे में यह बिल है और हम उनको आटोनोमी देने जा रहे हैं लेकिन अन्दर से यह दूसरी ही कहानी कहता है। इस वास्ते मैं ने एमेंडमेंट दिया है कि इसको सिलैक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए। इसका एक कारण यह भी है कि ३७१ जो आर्टिकल कांस्टीट्यूशन का है, उसका पांचवां शैड्यूल्ड जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के बारे में और छठा शैड्यूल ट्राइबल एरियाज के बारे मैं है। साथ ही छठा जो शैड्यूल है वह १९३५ का जो एक्ट था और उसमें ट्राइबल्ज के बारे में जो एक पालिसी निर्धारित की गई थी, वही पालिसी और उसी लैंबैसी को इसमें भी कैरी आउट किया गया है। इसलिए में चाहता हूं कि अगर इसको सिलैक्ट कमेटी मैं भेजा जाए तो वह इस पर विचार कर सकेगी कि दरअसल मैं गवर्नर को कितनी पावर्स दी जानी चाहियें। जो नारे आप इक्वैलिटी' फैटर्निटी, लिबर्टी और जस्टिस के लगाते हैं अपने कांस्टिटयूशन में, उन नारों के अनुसार यह अमेंडमेंन्स हो रहे हैं या नहीं, इस का परीक्षण किया जाये, इस वास्ते मैं ने अपने संशोधन रक्खे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : लगभग सभी सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है।

इस समस्या के समाधान के लिये अभी हाल मैं प्रयत्न नहीं किया गया हैं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही बल्कि उससे पहले से ही प्रयत्न किया जा रहा है। सदैव से ही यह प्रयत्न रहा है कि देश में एकता बनी रहे। मेरी समझ में उन लोगों की बात नहीं आती जो दावा तो देशभक्त होने का करते हैं लेकिन वैसे देश के विभाजन की बात करते हैं। राष्ट्रवादी वही व्यक्ति कहा जा सकता है जो हर काम राष्ट्र के हित के लिये करे।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार का आधारभूत दृष्टिकोण यह रहा है कि लोगों की सद्भावना से भिन्नता होते हुए भी एकता को रखते हुए एक संगठित भारत का निर्माण किया जाये।

भारतीय लोग विदेशों में गए। विदेशी हमारे देश में आए और यहां उनका एकीकरण हो गया। उन के विचार और धर्म यहां मिल गए। भारत में कई धर्म है। भारत ऐसा देश नहीं है जिसमें एक ही धर्म है और एक ही भाषा है। कोई भी व्यक्ति या जनसमुदाय या राष्ट्र तभी बड़ा हो सकता है जब उनका दृष्टिकोण विशाल हो और वे चीजें ग्रहण करने के लिए तैयार हों। दुर्भाग्यवश अलग रहने की आदत भारत में भी आई और बहुत बड़े लोगों को भिन्न विचारों वाले बना दिया और इससे उन का पतन हुआ।

हमारी विचारधारा भिन्न है। हम अलग नहीं रहते। समय आएगा जब राष्ट्रीयता पर्याप्त नहीं समझी जाएगी। अत हमें भारत में रहने वाले सभी लोगों का, उनका कोई धर्म हो उन की कोई रीतियां हों, स्वागत करना है और सब से मिल कर काम करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह विधेयक सही विधेयक है । यह विधेयक उस समझौते पर आधारित है जो कि दो वर्ष पूर्व दिए गए ज्ञापन पर हुआ था । यह विधेयक नागा नेताओं से सलाह कर के बनाया गया था । अतः बहुत सी आलोचनाएं उचित नहीं है ।

राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कुछ आलोचनाएं हुई थीं । इस विधेयक से पूरा राज्य बनेगा । इस राज्य पर कुछ अस्थायी प्रतिबन्ध हैं । पहला प्रतिबन्ध तो शांति-व्यवस्था के सम्बन्ध में है, दूसरा प्रतिबन्ध कुछ धन के बारे में है और तीसरा प्रतिबन्ध त्युनगसांग जिले के सम्बन्ध में है । इन प्रतिबन्धों के अतिरिक्त यह पूरा राज्य हैं ।

नागालैंड में शांति व्यवस्था की अवस्था सामान्य सी है । यह पहले से सामान्य है, परन्तु इसे असामान्य तरीके से सम्भालना है । अतः इस काम का कुछ बोझ राज्यपाल सम्भालें और कुछ उत्तरदायित्व वहां के मंत्रालय पर होगा । परन्तु सारा उत्तरदायित्व उन पर छोड़ना उचित नहीं । जब वहां स्थिति सामान्य हो जायेगी तो राज्यपाल के कहने पर विशेष उपबन्धों को राष्ट्रपति समाप्त कर देंगे ।

जहां तक वित्त का प्रश्न है, इस राज्य को केन्द्रीय सरकार बहुत सा राजस्व देगी । चूंकि इस राज्य को बहुत धन केन्द्र से दिया जाएगा अतः ऐसा देखा गया कि केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि अंशतः इस निधि के निपटारे के लिए उत्तरदायी हों । वे भी राजस्व पैदा कर सकते हैं । सब राजस्व उन की अनुमति से व्यय किया जाएगा । इस प्रकार के मामलों में अन्तिम निर्णय राज्यपाल का होगा ।

त्युएनसांग जिले के सम्बन्ध में जो उपबन्ध है वह वही है जिसे जिले के प्रतिनिधि चाहते थे । विभिन्न कारणों से लोग ऐसा चाहते थे । हम ने उसे मान लिया ।

जहां तक राज्यपाल का सम्बन्ध है, वह न केवल केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रपति का नौकर है, परन्तु संसद् का भी नौकर है । वह कुछ सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करेगा और जो कुछ वह करता है सरकार के सामने होगा ।

इतने छोटे क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करना उचित नहीं है । मुख्य न्यायाधीश वहां "बैंच" स्थापित कर सकता है ।

विधेयकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिस से नागालैंड के लिए पृथक राज्यपाल नियुक्त किया जा सके परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में एक ही राज्यपाल रखना वाछनीय समझा गया है । परन्तु ऐसा हमेशा ही नहीं रहेगा । इसे रोकने के लिए कुछ नहीं है ।

आसाम के राज्यपाल का नेफा के बारे में विशेष उत्तरदायित्व है । अतः आसाम का राज्यपाल नियुक्त करते समय विशेष ध्यान रखना है । आसाम के राज्यपाल के पास अधिक काम होता है और उस के बड़े उत्तरदायित्व हैं । पहले बहुत योग्य राज्यपाल थे जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया । अब हम शीघ्र एक तजुर्बे वाले कर्मचारी को वहां भेज रहे हैं । अतः व्यवहारिक दृष्टि से उचित है कि आसाम के राज्यपाल ही नागालैंड के राज्यपाल हों ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** उसका दफ्तर कहां होगा ? वह शिलांग में या मौकोकवांग में ? जब आप उसे इतनी राजनैतिक और प्रशासनिक शक्तियां दे रहे हैं तो वहां के लिए अलग राज्यपाल का होना अच्छा रहेगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वह दोनों स्थानों को जाएगा ।

कुछ सदस्यों ने सोचा कि नागालैंड बनने से वित्तीय भार जो कि ४ करोड़ रुपए है बहुत अधिक होगा, परन्तु अब अधिक भार है । नागालैंड हमेशा ही पृथक इकाई रहा है, किसी भाग को अलग नहीं किया जा रहा है । कुछ वर्ष पहले यह अलग किया जा रहा था । अब उस इकाई को अलग से नाम दिया जा रहा है ।

सरकार का इस समय नेफा की प्रशासकीय व्यवस्था में परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है । जहां तक मनीपुर और त्रिपुरा का सम्बन्ध हैं माननीय गृह-कार्य मंत्री शीघ्र ही केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए प्रस्तावनाएं रखेंगे ।

यह बिल्कुल ठीक है कि आसाम विधान सभा ने इस प्रश्न को पसन्द नहीं किया और उन्होंने कुछ हिचकिचाहट से संकल्प पारित किया, परन्तु आसाम विधान सभा के लिए यह कोई नई चीज नहीं थी । आज जो विधेयक आया हैं इसका दो वर्ष से पता है ।

दूसरे यह क्षेत्र कुछ वर्ष पूर्व आसाम से पृथक कर दिया गया था । पिछले दो तीन वर्षों में इस से उन का कोई सम्बन्ध नहीं था । यह तो एक तथ्य को मानना है । दूसरे और तथ्य को हमने मानना है । इस नागा क्षेत्र में जो कुछ हुआ उस से हम सब को खेद हुआ । परन्तु इस के लिये केन्द्रीय और आसाम सरकार दोनों का उत्तरदायित्व था । हमारी गलती इसलिये थी कि हमने आरम्भ में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया । स्वतन्त्रता के बाद हम कई समस्याओं में व्यस्त थे । यदि हमने और आसाम सरकार ने जिस पर कि सीमा उत्तरदायित्व था इस मामले पर भिन्न रुप से कार्यवाही की होती, तो परिणाम भिन्न होते । परन्तु कोई परिस्थिति पैदा हो गई है । हमें उस का हल निकालना है । जो रास्ता हमने निकाला है वह अच्छा है, क्योंकि अधिकांश नागाओं के लिये संतोषजनक है । आशा है कि उन का हृदय परिवर्तन होगा और हम सब में सहयोग होगा ।

आसाम के जो दो सदस्य बोले हैं उन्होंने दोनों विधेयकों का समर्थन किया है । मेरे नवयुवक साथी जो कि नागालैंड के प्रतिनिधि हैं उन्होंने जो भाषण दिया वह माननीय सदस्यों ने बड़ी दिलचस्पी से सुना है । उन्होंने बड़े जोश से बोला क्योंकि वे नौजवान हैं और वे बड़े साहस से इसलिये बोले कि वे वहां के लोगों में से हैं । अतः वे विधेयक इसी रुप में पारित करने चाहियें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं श्री बड़े का संशोधन मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा नागालैंड राज्य विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपे जाने के बारे में संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि नागालैंड राज्य की स्थापना और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं दूसरा प्रस्ताव भी मतदान के लिये रखता हूं । यह प्रस्ताव संविधान के संशोधन के सम्बन्ध में है । इसको पारित करने के लिये संविहित बहुमत की आवश्यकता हैं अतः मैं घंटी बजाता हूं जिससे कि जो सदस्य सभा में नहीं हैं वे भी सभा में आ जायें । इसके पूर्व मैं श्री बड़े का दूसरा संशोधन मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक को एक प्रवर समिति के सौंपे जाने के बारे में संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३३५: विपक्ष में ९ ।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय सभा में अच्छी उपस्थिति है । इसलिये हम पहिले संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे ।

खण्ड २ (भाग २१ का संशोधन)

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं संशोधन ५ प्रस्तुत करती हूं । इसका आशय यह हैं कि नागालैंड के लिये एक पृथक् राज्यपाल होना चाहिये । क्योंकि आसाम के राज्यपाल को ही वहां का राज्यपाल बनाने के पर्याप्त कारण नहीं दिये गये हैं और जब हम उन्हें राजनैतिक अधिकार दे रहे हैं तो यह भी आवश्यक है कि इस हम वहां के लिये एक पृथक् राज्यपाल देवें जो वहां की स्थिति का अध्ययन करे और उसके अनुरूप कार्य करे । मेरे संशोधन संख्या ७ का अभिप्राय यह है कि राज्यपाल को संसद के अधिनियमों को रद्द करने का अधिकार न दिया जाये । मैं नहीं जानती कि कौन से अधिनियम रद्द करने अनिवार्य हैं । यदि मंत्री महोदय द्वारा इस पर प्रकाश डाला जायेगा तो मैं इसे वापस ले लूंगी । मैं अपना संशोधन संख्या भी प्रस्तुत करती हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: मैं संशोधन संख्या ३, ४, ६ और १० प्रस्तुत करता हूं ।

मैं पहिले संशोधन संख्या ६ और १० लेता हूं । इससे मेरा आशय यह है कि इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति द्वारा कितने भी आदेश निकालें जायें वे सब सभा पटल पर रखे जायें जिससे सभा उनमें अपेक्षित संशोधन कर सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

संशोधन संख्या ३ और ४ का आशय यह है कि नागालैंड के स्थान में इस नये प्रदेश का नाम नागालिया या नागा प्रदेश रखा जाये। नागालैंड के नाम से कई भ्रांतियां हो सकती हैं और यह नाम विदेशी अधिक लगता है। विदेशों में इस भ्रांति का अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न किया जायेगा। अतः इसके नाम में परिवर्तन कर दिया जाये। नागा भाषा में प्रदेश को "लिया" कहते हैं यदि हम तामिलनाड स्वीकार कर सकते हैं तो हमें नागालिया भी स्वीकार करना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं। इसका आशय यह है कि नागालैंड की विधान सभा को पूरी राजनैतिक और वित्तीय शक्तियां होनी चाहिये। तथापि तुएनसांग क्षेत्र के लिये राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई हैं। इससे विधान सभा और राज्यपाल के अधिकारों में विरोध होता है अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इसे हटा दिया जाये। राज्यापल को यह अधिकार दिया गया है कि वह तुएनसांग क्षेत्र के सम्बन्ध में विधान सभा के निर्णय रद्द कर सकता है और विधान सभा का कोई भी निर्णय राज्यपाल की सहमति के बिना लागू नहीं होगा। राज्यपाल को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियम या विधि को भूतलक्षी अवधि से रद्द कर सकते हैं। इस प्रकार राज्यपाल को बहुत अधिक शक्ति दी गई हैं जो अनुचित है। साथ ही खंड (२) (च) में यह कहा गया है कि तुएनसांग के सम्बन्ध में राज्यपाल को ही निर्णय का अंतिम अधिकार होगा।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** मैं श्रीमती रेणुचक्रवर्ती के संशोधन ७ से सहमत हूं। विधि मंत्री को उस पर पुनः विचार करना चाहिये। यह उचित नहीं है कि राज्यपाल को इतनी शक्तियां दी जायें कि वह भूतलक्षी अवधि से संसद् द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को रद्द कर सके। यह एक अभूतपूर्व विधान है अतः विधि मंत्री को दूसरा स्पष्टीकरण करना चाहिये।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** इस समय नागालैंड संघ क्षेत्र है और केन्द्रीय सरकार और संसद उसके बारे में कानून बना सकते हैं परन्तु विधेयक बाद संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नागा लैंड राज्य सातवीं अनुसूची की सूची २ के किसी भी विषय पर कानून बना सकेगा जो किसी केन्द्रीय कानून के विरुद्ध हो सकता है। उस सूची के सम्बन्ध में उसे पूर्व अधिकार दिया गया है। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। संविधान में इसकी व्यवस्था है।

राज्यपाल को तुएनसांग के क्षेत्र के बारे में जो विशेष अधिकार दिये हैं उसका कारण यह है कि शायद आने वाले दस वर्षों में नागालैंड की विधान सभा इस क्षेत्र के लिये दस वर्ष तक कानून नहीं बना सकेगी। अतः यह संशोधन किया गया है कि इस अर्से में इस क्षेत्र के लिये विधायिनी प्राधिकार राज्यपाल के पास होंगे। इस क्षेत्र में लागू होने वाले सभी कानून उसके द्वारा ही पारित होंगे। इसमें कोई विचित्रता नहीं, न ही यह अधीनस्थ विधान का मामला है। यह तो संविधान द्वारा विधायनी प्राधिकार की स्थापना की जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या राज्यपाल इस मामले में विधान सभा का कार्य करेंगे।

†**श्री अ० कु० सेन :** छठी अनुसूची के पैराग्राफ १९ में राज्यपाल को अनुसूचित आदिम जाति लोगों के लिये विधान बनाने की शक्तियां प्राप्त है। यह तो संविधान की बात है जिसे हम सजीव रख रहे हैं। त्युएनसांग क्षेत्र पर विधान मंडल का कोई अधिकार नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** परन्तु यह शक्तियां तो उस समय के लिये हैं जब कोई पहाड़ी क्षेत्रों का राज्य नहीं था, परन्तु जब नागालैंड नाम से राज्य की स्थापना हो गई तो यह संवैधानिक व्यवस्था उस पर लागू नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय प्रधान मंत्री इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** प्रथम बात तो यह है कि नागालैंड और आसाम के राज्यपाल एक ही होंगे । संविधान की व्यवस्था के अनुसार "प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा । परन्तु उसी व्यक्ति के दो और इससे अधिक राज्यों के राज्यपाल बनने में कोई रुकावट नहीं ।" मेरी व्यक्तिगत रूप में यह ही मत है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आसाम और नागालैंड के लिए एक ही राज्यपाल होना उचित ही है ।

नाम बदलने की बात श्री कामत ने की है । उनका कहना है कि इसका नाम नागालिया अथवा नागा प्रदेश रखा जाना चाहिए । मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हम इस बारे में दो वर्ष तक बराबर सोचते रहे हैं । परन्तु नागा लोग "नागालैंड" नाम पर ही जोर देते रहे हैं । और वे इस बात को बहुत महत्व भी देते थे । इस बात पर हमने उनकी बात से असहमत होना ठीक नहीं समझा । अतः नागालैंड नाम ही स्वीकार कर लिया गया हैं । नागालैंड बोलने से किसी विदेशी देश का बोध होता है, यह बात मुझे नहीं जंचती ।

इसके अतिरिक्त जहां तक विधि तथा व्यवस्था और वित्त का सम्बन्ध है, राज्यपाल को विशेष अस्थायी शक्तियां प्राप्त हैं । यह समस्त योजना का आधार हैं । त्युएनसांग के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था सम्बन्धित पक्षों की सहमति से की गयी है । वर्तमान परिस्थितियों में उन शक्तियों को ऐसा ही रखना होगा ।

†**श्री अ० कु० सेन :** यह व्यवस्था अस्थायी है और केवल दस वर्षों तक रहेगी । केवल इतने वर्षों तक ही इस क्षेत्र के विधान मंडलीय अधिकार राज्यपाल के पास रहेंगे । कारण यह है कि यह क्षेत्र काफी ग्रस्त और पिछड़ा हुआ है । विशेष महत्व से यह विशेष व्यवस्था की गयी है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान में लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं श्री कामत का संशोधन संख्या ३ मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं श्री कामत का संशोधन संख्या ४ मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ मतदान के लिये रखा गया

सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में २९ : और विपक्ष में २९४

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री कामत का संशोधन संख्या ६ मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६ मतदान के लिये रखा गया

सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में ४२ और विपक्ष में २८१

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १० मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में ३१० : विपक्ष में ९

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि खंड १, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में ३१३ : विपक्ष में ५

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ सभा की कुल सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कल हम नागालैंड राज्य विधेयक पर विचार करेंगे ।

इस के पश्चात् लोक सभा बुधवार, २९ अगस्त, १९६२/७ भाद्र १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में